न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 71/2015
दायर दिनांक : 09/09/2015
निर्णय दिनांक : 11/11/2025

उनवान

1 प्यारी पिता देवजी निवासी टाण्डा हाल मुकाम ढाणी तहसील भूपालसागर
2 मु. टम्मु पिता देवजी निवासी टाण्डा हाल मुकाम बडी तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1 भैरू पिता उदयराम गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
2 छोगा पिता उदयराम गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
3 भग्गा पिता उदयराम गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
4 झुमा पिता उदयराम गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
5 गोटू पिता देवाजी गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
6 रामलाल पिता गणेश गुर्जर निवासी टाण्डा तहसील भूपालसागर
7 सुंदर पिता गणेश गुर्जर निवासी पारी तहसील भूपालसागर
8 गंगा पुत्री गणेश निवासी दौतडी तहसील भदेसर
9 मु0 चांदी, गणेश गुर्जर निवासी टाण्डा
10 तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री के जी झंवर वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंतर्गत धारा– 88, 89, 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम टाण्डा तहसील भूपालसागर के आ0न0 177 178 179 180 181 182 190 191 192 193 202 203 204 206 207 कुल किता 15 रकबा 2.22 है0 स्थित है जिसके पुराने पैमाईश में आराजी न0 103 व 121 थे जो हम वादीगण के पिता श्री देवाजी के समय से चली आ रही है। पक्षकारान का सजरा निम्न प्रकार है:– देवजी(फौत) राम – भैरू छोगा भगगा झूमा, गोटू – रामलाल सुंदर गंगा चांदी, गणेश, डालू, प्यारी, टममू है। दावे की कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात देवजी की थी व देवजी की देहांत सन् 1956 के बाद हुआ व हम वादीगण देवजी की पुत्रिया होने से हिंदु उत्तराधिकारी के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है जिससे हम भी चारो भाई उदयराम गोटू गणेश एवं डालू के साथ सह खातेदार थी मगर राजस्व कर्मचारियों की गलती से विरासत से हमारा नाम दर्ज नही हुआ जिससे हम यह घोषणा करने के अधिकारी है कि दावे की कालम संख्या 1 मे वर्णित आराजियात के 1/5 हिससा वादी संख्या 1/6 हिस्सा वादी संख्या 2 व शेष 4/6 हिस्सा सभी प्रतिवादीगणों का है। यह कि प्रतिवादीगण उक्त आराजियात को खुर्द बुर्द कर विवाद करना चाहते है व हम वादीगणों का कब्जा भी हटाना चाहते है जिससे प्रतिवादीगणों को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा भी पाबंद किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगणों को समझाईश की कोशिश करने के उपरांत गलत इंद्राज के आधार पर हम आराजियात को हस्तांतरित कर देगें जिससे वादपत्र पेश करने की बिनाय पैदा हो रही है जिसकी शुरूआत दिनांक [illegible] से लगातार है।

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर [illegible] की जाकर [illegible] फिल्ड बुक मेट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक [illegible] 2012 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर [illegible] एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को [illegible] सूचना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:57 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, भूपालसागर के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2025/1168 दिनांक 09.10.2025 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	लगान
1	प्यारी पिता देवजी पत्नी नाथू गुर्जर निवासी टाण्डा हाल मुकाम ढाणी	191 192 193 203	0.09 0.21 0.04 0.10	– 2.73 0.08 1.60
	योग	4	0.44	4.43
2	टम्मू पिता देवजी पत्नी उदयराम गुर्जर निवासी टाण्डा, बडी	202 204 206 207	0.11 0.10 0.03 0.20	1.76 1.60 0.48 3.20
	योग	4	0.44	7.04
3	श्री ईश्वर पुत्र रामलाल 1/16, किशनलाल पुत्र गोटू 1/8, छोगा पुत्र उदा 1/16, जीतमल पुत्र रामलाल 1/16, झुमा पुत्री उदा 1/16, नाराणी पत्नी छोगा 1/4, नारायणलाल पुत्र गोटू 1/8, भगा पुत्र उदा 1/16, भैरू पुत्र उदा 1/16, भैरू पुत्र उदा 1/16, मुकेश पुत्र रामलाल 1/16, लक्ष्मीबाई पत्नी रामलाल 1/16, जाती गुजर सा. देह खातेदार रहन चि.स.भू.वि.बैंक लि. शाखा कपासन हिस्सा ईश्वर, जीतमल, मुकेश, लक्ष्मीबाई पर रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा भूपालसागर हिस्सा नाराणी छोगा पर	177 178 179 180 181 182 190 206	0.05 0.32 0.27 0.08 0.08 0.40 0.01 0.13	0.85 4.16 3.51 1.04 1.04 5.20 – 2.08
	योग	8	1.34	17.88

तहसीलदार, भूपालसागर के प्रस्ताव अनुसार वादी प्यारी व टमू को 1/5, 1/5 हिस्सा अनुसार विभाजन किया गया, शेष भूमि का प्रतिवादीगणों के सामलाती रखा गया है।

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.11.25 12:07:57 IST
Reason: SelfAttested

(महेश गगोरिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर